

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -946/2015/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-डी, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स कास्टानेट वर्क्स प्रा. लि.

ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पारस पाटनी

अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06.02.2018

निर्णय


1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 177/2013-14/वैट/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 21.01.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.11.2013 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-षष्ठम, वृत्त-बी, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा ट्रॉसपोर्ट चैंकिंग के दौरान वाहन सं. RJ 27 G 9726 से स्क्रेप ग्राईडिंग का परिवहन गुजरात से ब्यावर के लिये किया जाना पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में वाहन चालक निर्भयसिंह से दस्तावेज मांगे जाने पर माल जीआरन. 607260 दो प्रतिया, इनवाईस नं. 86001962 दिनांक 14.12.2013, इनवाईस कम डिलीवरी चालान नम्बर 1312016579 दिनांक 14.11.2013 व वैट-47 संख्या 9567604 तथा परिवहनित माल का सम्पूर्ण विवरण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया कि वैट 47 में वैलिय फार टू इयर्स मुद्रित होने तथा दिनांक 12.09.2011 का जारी किया गया है, जो कि वक्त परिवहन कालातीत हो गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित करते हुए कि वैट-47 जारी होने से दो वर्ष की अवधि तक मान्य होने के कारण दिनांक 16.11.2013 को चैंकिंग के समय विधि मान्य नहीं है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)

लगातार.....2.



सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत रूपये 147485/- की शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश दिनांक 16.11.2013 के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कालातीत वेट-47 को तकनीकी भूल मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 21.01.2015 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
4. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु था तथा इसके साथ वेट-47 होना आवश्यक था। वक्त चैकिंग माल प्रभारी द्वारा जो वेट-47 न. 9567601 दिनांक 12.09.2011 को जारी किया हुआ पेश किया गया तथा यह प्रपत्र आगामी 2 वर्षों के लिये ही मान्य था। वक्त चैकिंग उक्त प्रपत्र वेट-47 कालातीत हो गया था। अतः इसे विधि मान्य नहीं माना जा सकता। जैसाकि राजस्थान कर बोर्ड ने राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय में प्रतिपादित किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे तकनीकी भूल मानकर आरोपित शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की गई है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर आरोपित शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया गया।
5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में समस्त दस्तावेज मौजूद थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या अवधारित नहीं किया गया। परिवहनित माल के साथ केवल अवधिपार वेट-47 पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। जो कि एक तकनीकी भूल थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय में इसे तकनीकी भूल माना है। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि वक्त जांच वेट-47 कालालित था किन्तु सुवायी का अवसर दिये जाने पर प्रस्तुत जवाब के साथ नया वैद्य घोषण प्रपत्र वेट-47 प्रस्तुत कर दिया गया।
6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:-
 1. Revision Petition No 400/2008 Assistan Commercial Taxes Officer, Ward-ii Circle-B, Alwar Vs. Ms REBI Casting (Pvt.) Ltd. Bhilwadi & Anr. Dated 01-082013 (Rajasthan High Court)




लगातार.....3.

2. Revision Petition No 190/2012 Ms. Cera Tech India Vs. Asstt Commercial Taxes Officer, Bhilwadi Dated 07-01-2013 (Rajasthan High Court Jaipur Bench)
3. Assistant Commercial Taxes Officer Flying Squad, Ajmer Vs. Arham Spinning Mills Dated 11-11-2010 (Rajasthan High Court Jaipur Bench)
4. Appeal No 1144/2013 ACTO Ward-I Anti Evasion AbuRoad Vs. M/s Kheda Marketing Pvt Ltd Jodhpur Dated 01-06-2015 (Rajasthan Tax Board Ajmer)
5. अपील संख्या 907/2012/अजमेर वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन बासवाड़ा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि. अजमेर निर्णय दिनांक 01.04.2013 (राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर)
6. अपील संख्या 2316/2011/उदयपुर मैसर्स जे.पी. फूडस उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर निर्णय दिनांक 26.02.2013 (राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर)
7. अपील संख्या 7/2013/अजमेर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट प्रथम करापवंचन आबूरोड बनाम मैसर्स ओम स्टील्स अजमेर निर्णय दिनांक 16.07.2013 (राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर)
8. अपील संख्या 292/2015/बूंदी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उदपुर बनाम मैसर्स सोमानी ट्रेडर्स बूंदी निर्णय दिनांक 08.03.2017 (राजस्थान कर बोर्ड अजमेर)

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत के वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होने के कारण अभिभाषक द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दिनांक 16.11.2013 वाहन संख्या RJ27 G 9726 को चैक किये जाने पर माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में घोषण प्रपत्र वेट-47 प्रस्तुत किया जिसकी वैधता की अवधि 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 11.09.2013 तक की थी। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच वेट-47 कालातीत हो चुका था। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वेट-47 सम्पूर्ण भरा हुआ था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इसे बोगस या मिथ्या साबित नहीं किया गया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत उक्त घोषण प्रपत्र वेट-47 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की समयावधि के लिये इसे पुनः विधिमान्य किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द्र जैन एण्ड कम्पनी एसटीसी 2000 पेज 212 निर्णय दिनांक 02.03.2000 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान बिक्री अधिनियम 1994 व राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 के

लगातार.....4.



अधीन जारी फॉर्म एसटी18ए की वैधता जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक होती है किन्तु उक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात् इसे एक वर्ष की अवधि के लिये पुनः विधिमान्य किया जा सकता है तब शास्ति का आरोपण उचित नहीं है।” राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आरटीआर 26 में अवधि पार घोषणा प्ररूप वेट-47 की प्रस्तुत को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। न्यायिक दृष्टांत ACTO, AE, WARD II, BANSWARA VS. M/S J.M.C. PROJECTS(e) Ltd. Udaipur Tax Update 40 Pg 9, विजयलक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशन, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा एवं अन्य VAT reporter pg 154 तथा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2316/2011/उदयपुर मैसर्स जे.पी. फूड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर TAX Update 35 Pg. 317 में भी विवाद बिन्दु वर्तमान प्रकरण के समान निहित था। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी शास्ति का आरोपण अनुचित माना गया। इस प्रकार वेट-47 कालातीत होने के पश्चात् उसकी अवधि वैधानिक रूप से एक वर्ष तक बढ़ाने के प्रावधान होने से अवधिपार वेट-47 के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को विधि संगत नहीं मानते हुए अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड द्वारा उक्त विवादित बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2015 विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. प्रेरणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.01.2015 की पुष्टि की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


 (राजीव चौधरी)
 सदस्य